नगर परिषद, डूंगरपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/DUNGARPUR/FIRENOC/2025-26/61425

जारी दिनांकः 15-DEC-2025 वैधता दिनांकः 14-DEC-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः BRIGHT DAY SCHOOL VAGAD CHETNA MANDAL

आवेदक का पताः BESIDE TEHSIL OFFICE, DHAMBOLA-SIMALWARA

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **BRIGHT DAY SCHOOL, 1, BESIDE TEHSIL OFFICE, TEHSIL OFFICE, , DUNGARPUR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **अस्थाई** (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथी सें 1 वर्ष के भितर भवन मे लगे अग्निशमन उपकरणो का टेस्टींग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनापत्ती प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
5. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
6. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
7. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
8. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
9. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
12. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नही है, जिस भाग के लिएए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
13. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
14. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।

Signed by: Prakash Dudi
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: DUNGARPUR, Rajasthan
Date: 15/12/2025 18:32:27

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, डूंगरपुर